उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-1

संख्या-31/2016/1024/ई-1/तेरह-2016-96/2016

लखनऊ:: दिनांक: 11 जुलाई, 2016

कार्यालय आदेश

आबकारी अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या- 24/2016/728/ई-1/तेरह-2016-96/2016 दिनांक 06 जून, 2016 द्वारा अन्य उप आबकारी आयुक्तों के साथ-साथ श्री राजेश कुमार सिन्हा, उप आबकारी आयुक्त, सम्बद्ध संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन, वाराणसी को स्थानान्तरित करते हुए उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर प्रभार, गोरखपुर के पद पर तैनात किया गया था।

2. श्री राजेश कुमार सिन्हा को उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर प्रभार, गोरखपुर के पद पर तैनात किये जाने के उक्त आदेश के विरूद्ध श्री राधेश्याम मिश्र, उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर प्रभार, गोरखपुर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-13760 (एस.बी.)/2016 राधेशयाम मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई, जिसमें दिनांक 13.06.2016 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है :-

> At this stage, we have informed that today necessary order has been issued to transfer the petitioner to Allahabad, therefore, we keep in abeyance the transfer order transferring the petitioner as well as respondent no. 4 to a different place.
>
> However, it is observed that since the petitioner is going to retire on 31 July 2016, it would be open to the authorities concerned to restore the transfer order issued in favour of respondent no. 4 for his posting as Deputy Excise Commissioner, Gorakhpur on 1st August 2016. The writ petition stands disposed of accordingly."

3. मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के समादर में उक्त संदर्भित कार्यालय आदेश दिनांक 06.06.2016 द्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा, उप आबकारी आयुक्त का वाराणसी जोन से उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर प्रभार, गोरखपुर के पद पर किया गया स्थानान्तरण दिनांक 31.07.2016 तक स्थगित किया जाता है। उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर प्रभार, गोरखपुर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से किये जायेंगे।

4. कार्यालय आदेश दिनांक 06 जून, 2016 द्वारा किये गये अन्य स्थानान्तरण यथावत् प्रभावी रहेंगे।

डा0 अशोक चन्द्र,

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-31/2016/2016/1024(1) /ई-1/तेरह-2016-96/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी।
(5) सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त।
(**6**) सम्बन्धित अधिकारी।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।